छत्तीसगढ़ संवाद

निदेशालय विस्तार सेवाएं, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा प्रकाशित
E-mail : des_igkv@yahoo.com
Website : www.igau.edu.in

मार्गदर्शिका

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 तथा जैव विविधता अधिनियम 2002

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय
रायपुर (छत्तीसगढ़)

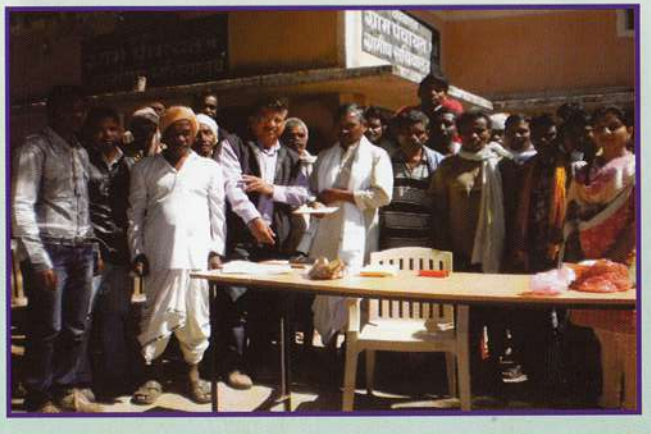

प्रसार बुलेटिन क्र.–2015/1

मार्गदर्शिका

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 तथा जैव विविधता अधिनियम 2002

कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केन्द्र
निदेशालय विस्तार सेवाएं
इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
2015

सम्पादक मण्डल

संरक्षक : डॉ. एस.के. पाटील,
कुलपति, इं.गां.कृ.वि., रायपुर

प्रधान सम्पादक : डॉ. एम.पी. ठाकुर
निदेशक विस्तार सेवाएं

संकलनकर्ता : डॉ. दीपक शर्मा
श्री सत्यपाल सिंह
डॉ. संदीप भण्डारकर
डॉ. ए.के. सरावगी

सम्पादक : डॉ. एस.एस.टुटेजा

कम्प्यूटर अक्षर संयोजन : पवन कुमार तिवारी

निदेशालय विस्तार सेवाएं
इंदिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा प्रकाशित

विक्रय मूल्य : रू. 15/–

विषय–सूची

क्र.	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
1.	पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001	01–29
2.	जैव विविधता अधिनियम 2002	30–39

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001

प्रस्तावना

कृषि, भारतीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण पहलू है। भारत की लगभग 70 प्रतिशत आबादी कृषि पर आधारित है एवं कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान कर रही है भारतवर्ष प्राचीनकाल से ही प्रकृति की अमूल्य सम्पदा से भरपूर है। यहॉ पर विश्व की सबसे अधिक जैव विविधता पायी जाती है। यहॉ पर सभी फसलों की विभिन्न दुर्लभ एवं उपयोगी प्रजातियॉ पायी जाती है। इन प्रजातियों का उचित रूप से संरक्षण एवं उपयोग हो सके तथा दूसरे देशों या निजी संस्थाओं द्वारा इनके दुरूपयोग को रोकने के लिये इन दुर्लभ प्रजातियों का संरक्षण करना अत्यन्त आवश्यक समझा गया। साथ में ही भारतवर्ष के दूरस्थ अचंलों में स्थित ग्रामों में कृषकों द्वारा आज भी विभिन्न फसलों के दुर्लभ भू–प्रजातियों को लगाया जाता है तथा इनमें चयन कर नयी प्रजातियों का विकास भी किया जाता है तथा इन किस्मों को किसानों के नाम से पंजीकृत करके संरक्षित करने के लिये कृषि मंत्रालय भारत सरकार ने सन् 2001 में पी.पी.वी. एवं एफ.आर.ए. की स्थापना की । जो कि सुइजेनरिस अर्थात अद्वितीय (स्वयंमूल आधारित) अधिनियम है।

इस अधिनियम के द्वारा फसलों की विभिन्न प्रजातियों का संग्रहण, कृषक प्रजातियों का संग्रहण, कृषकों को उनका अधिकार दिलाना आदि प्रमुख कार्य किये जाते है। यह अधिनियम पूरे विश्व का पहला ऐसा अधिनियम है जिसमें उनके द्वारा विकसित प्रजाति एव अन्य अधिकार दिलाने (कृषको को बौद्धिक सम्पदा अधिकार) के लिये बनाया गया है। अतः कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने तथा कृषकों को नयी पहचान दिलाने के लिये यह एक महत्वपूर्ण अधिनियम है।

अधिनियम की मुख्य विशेषताएं

- यह अधिनियम एक सु जेनेरिस प्रणाली पर आधारित है और इस दृष्टि से अनूठा है कि इसमें प्रजनकों, किसानों कृषक समुदायों व अनुसंधानकर्ताओं के अधिकारों को पूर्ण मान्यता दी गई है।

- इसके अंतर्गत किसी प्रजनक या उसके अधिकारी, उसके एजेंट या लाइसेंसी को पंजीकृत किस्म के बीज को उत्पन्न करने, बेचने, उसका विपणन करने, वितरण करने, आयात और निर्यात का एकमात्र अधिकार प्राप्त है।
- जहां तक कृषकों के अधिकारों का संबंध है, यह अधिनियम कृषकों को किस्म उगाने वाले, संरक्षक और प्रजनक के रूप में मान्यता प्रदान करता है और यह प्रावधान कराता है कि कृषक किस्मों को पंजीकृत किया जा सकता है।
- इस अधिनियम में पंजीकृत किस्म के अनिवार्य लाइसेंस का उस स्थिति में प्रावधान है जब बीज/रोपण सामग्री उपयुक्त मूल्य अथवा मात्रा में जन–सामान्य को उपलब्ध न कराई गई हो।
- कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह अथवा कोई संगठन लाभ में भागीदारी का दावा कर सकता है, बशर्ते कि पादप आनुवंशिकी सामग्री उसकी हो तथा उसने पंजीकृत किस्म के विकास में भागीदारी की हो
- अनुसंधानकर्ताओ को प्रयोग अथवा अनुसंधान करने के लिए किसी भी पंजीकृत किस्म के उपयोग करने का अधिकार है तथा ऐसी किस्म का उपयोग किसी व्यक्ति द्वारा किस्म के आरंभिक स्रोत के रूप में अन्य किस्मों के सृजन के उद्देश्य से किया जा सकता है।
- भारत वह विशिष्ट देश है जहां कृषकों के अधिकारों को स्थापित करने व सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय विधान को लागू किया गया।
- इस अधिनियम के अंतर्गत कृषक समुदाय के भूत, वर्तमान तथा भावी योगदानों को मान्यता प्रदान की गई है तथा इसमें कृषक समुदायों/कृषकों को कृषि–जैव विविधता के संरक्षण में किए गए उनके योगदानों के लिए पुरस्कृत करने का अवसर भी उपलब्ध कराया गया है।

पी.पी.वी. एवं एफ.आर.ए. अधिनियम के उददेश्य

- पौधा किस्मों, कृषकों और प्रजनकों के अधिकार की सुरक्षा और पौधों की नई किस्मों के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक प्रभावी प्रणाली की स्थापना।
- नई पौधा किस्मों के विकास के लिए पादप आनुवंशिकी संसाधन उपलब्ध कराने तथा किसी भी समय उसके संरक्षण व उसके सुधार में किसानों द्वारा दिए गए योगदान के संदर्भ में किसानों के अधिकारों को मान्यता देना व उन्हें सुरक्षा प्रदान करना।

- नई पौधा किसमों के विकास के लिए सार्वजनिक व निजी, दोनों क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास के लिए निवेश को प्रोत्साहन देने हेतु पादप प्रजनक के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करना है।
- देश में बीज उद्योग की प्रगति को सुगम बनाना जिससे किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीजों तथा रोपण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

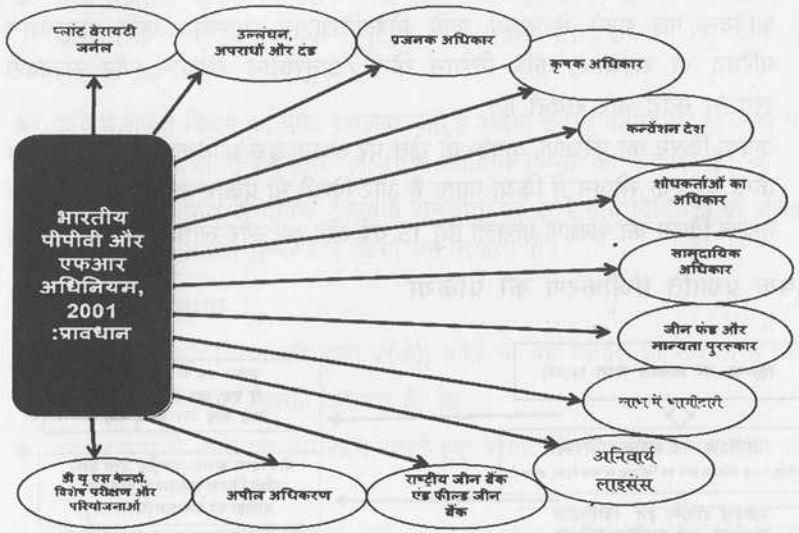

कृषक किस्म का संरक्षण क्यों ?

- कृषक पीढ़ियों से जंगली किस्मो/भूप्रजातियों से किस्मों का चयन और सुधार करता आया है और बीज का आपस में आदान–प्रदान करता रहा है।
- कृषक किस्मे स्थानीय रूप से अनुकूलित होती है जिनमे विशेष गुण होते है जैसे रोग/सूखा/लवण/गुणवत्ता/औषधीय गुण इत्यादि।
- कृषक किस्म भविष्य में प्रजनन हेतु महत्वपूर्ण अनुवांशिक संसाधन।
- कृषक किस्म को बौद्धिक संपदा सुरक्षा।
- कृषक किस्म के सहभाग/लायसेंस से व्यवसायिक उत्पादन के बाद आय प्राप्त कर सकते है।

कृषक किस्म का संरक्षण कैसे ?

- कृषक/समुदाय अपने मालिकाना विवरण, कृषक किस्म के मुख्य लक्षण सहित प्राधिकरण को सामान्य प्रपत्र में आवेदन कर सकते हैं और बीज का नमूना जमा करा सकते हैं।
- आवेदन का प्रपत्र प्राधिकरण के वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकता है।
- www.plantauthority.gov.in
- आवेदन पत्र भरने में राज्य कृषि विश्वविद्यालय/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के संस्थान/कृषि विज्ञान केन्द्र/अनुसंधान संस्थान/गैर सरकारी संगठन मदद कर सकते हैं।
- कृषक किस्म का परीक्षण, कृषक के खेत पर अथवा इस प्राधिकरण द्वारा निर्धारित केन्द्र पर एक सीजन में किया जाता है और किसी भी प्रकार का शुल्क देय नहीं।
- कृषक किस्म का संरक्षण फसलों हेतु 15 वर्ष और वृक्ष और लताओं हेतु 18 वर्ष है।

कृषक प्रजाति पंजीकरण की प्रकिया

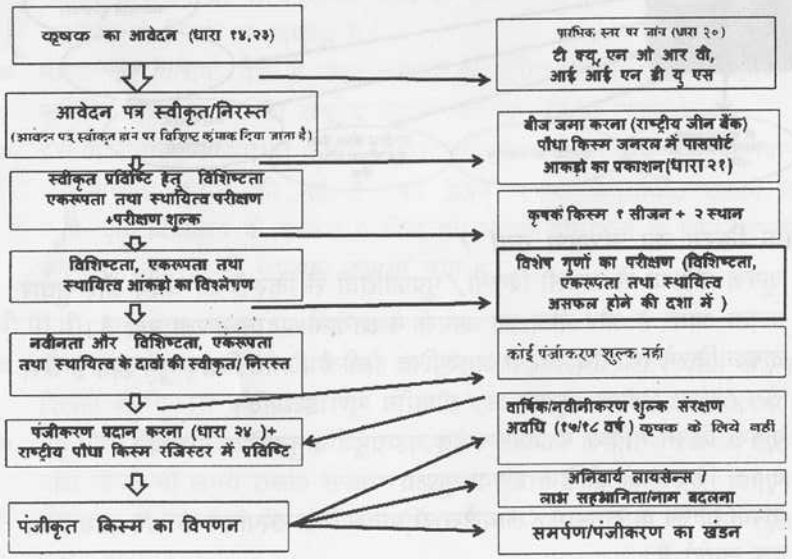

पी.पी.वी. एवं एफ.आर.ए. का कृषको हेतु महत्व :

- इस अधिनियम द्वारा पौधा किस्मों, किसानो के अधिकारों और पादप प्रजनको के अधिकारों की सुरक्षा के लिए व्यवस्था करना है।
- पौधा किस्मो का संरक्षण, नई प्रजातियों और तकनीकी को किसानो को उपलब्ध कराने में बढ़ावा देना।
- यदि प्रजनक कृषक किस्म को नई किस्म के विकास मे उपयोग करता है तो ऐसी दशा मे कृषक/कृषक समुदाय लाभ सहभागिता/हर्जाना हेतु दावा कर सकता है।
- यदि पंजीकृत किस्म का बीज उपलब्ध नही है अथवा उचित कीमत पर उपलब्ध नहीं है तो ऐसी दशा में अनिवार्य लायसेंस स्वीकृत किया जा सकता है।
- राष्ट्रीय जीन फंड से कृषक/कृषक समुदाय को कृषि जैव विविधता के संरक्षण हेतु पहचान अथवा पुरूस्कार दिया जा सकता है।

कृषक की परिभाषा :

कृषक (अधिनियम की धारा 2(के)) कोई भी वह व्यक्ति हो सकता है जो–

- स्वयं खेत जोतकर फसलें उगाता है; या
- प्रत्यक्ष रूप से खेती पर निगरानी रखते हुए अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा खेत में फसलें उगाता है; या
- अनेक के साथ अथवा संयुक्त रूप से किसी अन्य व्यक्ति के साथ किसी वन्य प्रजाति या परंपरागत किस्म का सरंक्षण और परिरक्षण करता है अथवा ऐसी वन्य प्रजाति या परंपरागत किस्म के उपयोगी गुणो का चयन और उनकी पहचान करके वन्य प्रजातियों का मूल्य प्रर्वधन करता है।

कृषक किस्म की परिभाषा

- कृषक किस्म जिसे कृषक परम्परागत रूप से अथवा स्वयं के द्वारा विकसित किस्म जिसे वह अपने खेत में लगा रहा है।
- किसी किस्म की जंगली प्रजति या भू–किस्म जिसके बारे में कृषक को सामान्य ज्ञान हासिल हो ।

कृषकों के अधिकार

अधिनियम में कृषकों को निम्न अधिकार उपलब्ध कराए गए हैं :

- ***बीज का अधिकार*** : अपनी फसल से अधिक बीज को बचाकर रखने, उसे बुआई, आदान–प्रदान करने और अन्य किसानों के साथ साझीदारी करने या बेचने का अधिकार बशर्ते कि वह किसान किसी सुरक्षित किस्म के ब्रांडेड की बिक्री न करे।
- ***अपनी किस्मों के पंजीकरण का अधिकार*** : किसानों द्वारा विकसित या संरक्षित परंपरागत किस्में या उनके द्वारा विकसित नई किस्में मान्यता की पात्र है।
- ***पुरस्कार एवं सम्मान का अधिकार*** : जो किसान पादप आनुवंशिक संसाधनों के चयन और परिरक्षण के माध्यम से आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधों और उनके वन्य संबंधियों के सुधार के साथ भू–प्रजातियों के आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण में रत हैं, उन्हे पुरस्कार व सम्मान प्राप्त करने का अधिकार है।
- ***कृषक किस्म का प्राधिकृतिकरण*** : यदि कृषक किस्म का उपयोग किसी नई किस्म के विकास में किया जाना है तो कृषक से इसकी अनुमति लेनी होगी।
- ***समुदायों का अधिकार*** : किसी किस्म के मूल्यांकन में किसी गांव या स्थानीय समुदायों के लोगों के योगदान पर उनका अधिकार होगा।
- ***लाभ में भागीदारी का अधिकार*** : नई पौधा किस्मों के प्रजनन के लिए कृषक किस्मों की महत्वपूर्ण भूमिका के मामले में।
- अनजाने में किए गए नियम उल्लंघन से सुरक्षा।
- शुल्क से छूट।

किसी पौधा किस्म और इसके नाम के पंजीकरण के लिए आवेदन निम्न श्रेणियों में दिया जा सकता है।

- ***नई किस्म*** : यदि कोई किस्म अपनी पंजीकरण हेतु आवेदन दाखिल करने की तिथि से एक वर्ष से कम अवधि के लिए वाणिज्यीकृत की गई है तो यह नई किस्म है।

- ***विद्यमान किस्म*** : इसमें निम्नलिखित श्रेणियां हैं–

1. ***बीज अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अंतर्गत अधिसूचित विद्यमान किस्म*** : बीज अधिनियम 1966 की धारा 5 के अतंर्गत अधिसूचित किस्में इस श्रेणी के अंतर्गत पंजीकरण की पात्र है।
2. ***कृषक किस्म*** : कृषकों द्वारा विकसित और उनके खेतों में परंपरागत रूप से उगाई गई जिसमें वे वन्य संबधी या भू–प्रजातियां या किस्में भी शामिल है जिनके बारे में किसानों को सामान्य ज्ञान है।
3. ***सामान्य ज्ञान की किस्म*** : जो बीज अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अंतर्गत अधिसूचित नहीं की गई है और एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए वाणिज्यीकृत श्रृंखला में है।
4. ***सार्वजनिक क्षेत्र के किस्म*** : ये पंजीकरण के पात्र नहीं है क्योंकि ये पहले से ही सार्वजनिक क्षेत्र में है।

अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्म : वह किस्म जो किसी आरंभिक किस्म से प्रमुखतः व्युत्पन्न है और इसे नई या विद्यमान किस्म के अंतर्गत आना चाहिए।

किस्मों के फील्ड परीक्षण की अवधि

आवेदन पर विचार करने के बाद निर्णय लिया जाता है और आवेदक को डीयूएस परीक्षण शुल्क जमा कराना होता है। वांछित शुल्क और बीज प्राप्त करने के पश्चात् किस्म को डीयूएस परीक्षण करने के लिए डीयूएस परीक्षण केन्द्र भेजा जाता है। डीयूएस परीक्षण केन्द्र की अवधि निम्नानुसार है :–

1. ***नई किस्म*** : दो स्थानों पर दो समान फसल वर्ष।
2. ***कृषक किस्म और वीसीके*** : दो स्थानों पर एक फसल मौसम
3. ***बीज अनिनियम, 1966 की धारा 5 के अंतर्गत अधिसूचित विद्यमान किस्म*** : डीयूएस परीक्षण नहीं किया जाता है लेकिन किस्म की ईवीआरसी समिति द्वारा जांच की जाती है जो इसके पंजीकरण की सिफारिश करती है।
4. ***ईडीवी*** : डीयूएस परीक्षण अनिवार्य नहीं है लेकिन डीयूएस मानदंडों की पुष्टि के लिए फील्ड परीक्षण किया जाता है।